न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:—36 / 2021

सी.सी.एम.एस.नं.—2021 / 46

सुखदेव सिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख उम्र—62 वर्ष निवासी चक—17 एल.एम तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

—प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक—03.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक—18 एल.एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं—22 पत्थर नं.—3 / 39 का किला नं.—21 ता 25 का कुल भूमि 1.0500 हैक्टर नहरी / बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी सन्तोखसिंह नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि खातेदारी वादी व वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी का सही व वास्तविक नाम सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह है लेकिन उसका घरेलू नाम सन्तोखसिंह होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों सन्तोख सिंह व सुखदेवसिंह के नाम से जानते व पुकारते थे वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का है व उसके भाई लखवीर सिंह द्वारा चक—18 एल.एम का पत्थर नं.—3 / 39 में 8—06 बीघा भूमि जरिऐ पंजीकृत बैयनामा दिनांक—03.08.1997 को खरीद की गई थी। बैयनामा लिखवाते समय वादी के परिजनो द्वारा बैयनामा में वादी का धरेलू वादी का नाम सन्तोख सिंह दर्ज करवा दिया था तत्पश्चात उसके आधार पर वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सन्तोखसिंह पुत्र नाहरसिंह के नाम से ही दर्ज हुआ है। जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का सही वा वास्तविक नाम सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह है। वादी के पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड जिनकी प्रतियॉ संलग्न वाद पत्र है में वादी का नाम सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह ही दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम सन्तोख सिंह से पुकारते थे इसलिए वादी का नाम सन्तोखसिंह दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही वा वास्तविक नाम सुखदेवसिंह ही है इस प्रकार सन्तोखसिंह व सुखदेवसिंह वादी का ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नामों से ही जाना व पुकारा जाता है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के सबंध में ... 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि ... का नाम दर्ज नही है। बल्कि आपका नाम रिकॉर्ड मे सन्तोखसिंह दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम सुखदेवसिंह है और घर पर उसे ... सन्तोखसिंह के नाम से बुलाते ... और सन्तोख सिंह व सुखदेवसिंह दोनों नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि ... दुरुस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी का सही व वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह है लेकिन सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे उसका घरेलू नाम सन्तोखसिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज हो गया है जो एक सद्भाविक एवं माननीय भूल है वादी के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात मे नाम अलग-अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम गलत रूप से सन्तोखसिंह दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सहवन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग-अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही व वास्तविक नाम सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक-18 एल.एम का मुरब्बा नं.-22 पत्थर सं.-3/39 के किला नं.-21 ता 25 का कुल भूमि 1.0150 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि खातेदार कषि भूमि में वादी सन्तोखसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख खातेदार के दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा वादी को बैयनामा जरिये दिनांक 03/08/1997 से स्वीकृत हुआ है। जिसमें वादी का नाम बैयनामा अनुसार संतोखसिंह पुत्र नाहरसिंह रिकार्ड म चल रहा है। चक-18 एल.एम के अन्य मोतविरान व्यक्तियो से कि गयी जानकारी अनुसार वादी का सही नाम सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह ही बताया गया, एवं राजस्व दर्ज नाम सन्तोख सिंह पुत्र नाहरसिंह को सही कर सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह किया जाना उचित बताया गया। रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 15 एल.एम वर्ष 2025 मे जारी प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमाकः-भू.अ./2024/1703 दिनांक-21 जून 2024 एवं ग्राम पचांयत 15 एल.एम द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वादी का नाम संतोखसिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर संतोखसिंह उर्फ सुखदेवसिंह पुत्र नाहरसिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

-:: आदेश ::-

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर खातेदारी कृषि भूमि वाके चक-18 एल.एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं-22 पत्थर सं.-3/39 का किला नं.-21 ता 25 का कुल भूमि 1.0150 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **संतोखसिंह के स्थान पर संतोखसिंह** उर्फ सुखदेवसिंह का अंकन किया जावे। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक-03.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़